2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

रामकरण बनाम सेडूराम

दीवानी/फौजदारी नं० 141/21 सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-06-2022	

प्रतिवादी पेश हुआ। वकील वादी व वकील प्रतिवादी के उपस्थित। उभयपक्षवादी द्वारा राजीनामा तहरीर कर पेश किया कि प्रस्तुतशुदा मे लाकं अदालत की आज्ञा को ध्यान मे रखते हुये आपस मे दिवतेफाक हो गये वाद वाली के समझाने से आपस मे राजीनामा होगया है, तथा भूमि सर्वे नं० 744/1722 रकबा 0.17 है० जिसे पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर रखे था जिसे खाली कर दिया है और बाड़ी को तुम्बलू दिया है। इस खेत्र सम्बन्ध पर प्रतिवादीगण को किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा करन नही रहेंगे। ना ही प्रतिवादीगण भविष्य मे इस खेत्र सर्वे नम्बर पर या अन्य भूमि पर कोई कब्जा नही करेगे। राजीनामा पर हाश हवास से बिना किसी दबाव के तहरीर करा कर हलाफ पर छोड़े वादी व प्रतिवादी 1, 2 ने अदेशकार पर हलफ किये, पहचान उभयपक्ष वकील गण की गई। हमने बाड़ी बाड़ लगाने

रामकरण
सेडूराम
बाबू उर्फ पप्पु
सेडूराम कुमावत

जाति कुम्हार निवासी भांवता तह0 बसवा जिला दौसा

गिरधारी जाति कुम्हार निवासी भांवता तह0 बसवा जिला दौसा

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अभिदेही, वसीयतनामा के द्वारा [illegible] भवनादि भूमि वादी सायु करण [illegible] के नाम से करते हुए [illegible] भूमि से जिसके प्रतिवादी गण का [illegible] हकीकत नहीं है।
	अतः वादी वाद विलेख [illegible] वसीयत राजीनामा दिनांक 09/05/[illegible] है तथा प्रतिवादी गण को उपरोक्त निषेधाज्ञा हेतु आदेश से प्रतिबंधित किया जाता है कि वाद लंबित रहने तक वसीयत दिनांक 27.10.2021 [illegible] 07/12/[illegible] से वादी कल्याण कारक से हस्तांतरित नहीं करें। अन्तरिम राजीनामा के शर्तों पर रहेगा। राजीनामा दि०[illegible] डिक्री का होगा। अंतिम डिक्री पक्षी जारी है। दस्तावेजी कॉपीज सुनाई अंकट वादी कार्यवाही दफ्तर है।
	निर्णय सुनाया गया।
	(नरेश कुमार) उपखण्ड [illegible]